न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी– श्री राजपाल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

किस्म दावा	ता0दायरा	तारीख निर्णय
09	12.10.09	15.02.18

1. हंसाबाई बेवा तेजराम मीना
2. श्रीमोहन पुत्र तेजराम मीना
3. जगमोहन। पिसरान तेजराम नाबालिग जरिये संरक्षिका मॉ हंसाबाई बेवा तेजराम
4. राजाराम ।
5. कमला बाई पुत्री तेजराम नाबा0 संरक्षिका मॉ हंसाबाइ बेवा तेजराम मीना

सभी निवासी रतनापुरा तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

बनाम

–वादीगण

1. उगन्ती पत्नि रामकिशन 2. कमला पत्नि बत्तीलाल जातिगण मीना निवासी तुरसंगपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली 3. प्रेमराज पुत्र तेजराम मीना 4. हुकमबाई पत्नि शिवराज पुत्री तेजराम मीना निवासी डूंडापुरा तह0 व जिला करौली 5. रत्तीराम दत्तक पुत्र भोरया(मृतक) 5/1. हुकमचंद 5/2 धर्मचंद 5/3 रूपचंद 5/4 भागचंद 5/5 पिन्टू 5/6 उदयचंद पिसरान रत्तीराम 5/7 फूलादेवी बेवा रत्तीराम जातिगण मीना नि0 रतनापुरा तहसील सपोटरा जिला करौली 6. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान। 7. सरबों पत्नि जमनीलाल मीना निवासी तुरसंगपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

–प्रतिवादीगण

वा बाबत् बंटवारा, घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आर.टी.एक्ट

थतः– श्री राजाराम मीना वकील वादीगण।
श्री केशव कुमार गोतम एड0 वकील प्रतिवादी सं0 5

संक्षेप में वाद तथ्य वादीगण इस प्रकार से है कि वादीगण ने एक वाद विरूद्व दीगण इस आशय का पेश किया है कि खाता सं0 22 की आराजी खसरा नं0 151 रकबा 09 , खसरा नं0 163 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नं0 167 रकबा 01 बीघा, खसरा नं0 193 10 बिस्वा, खसरा नं0 198 रकबा05 बीघा कुल किता 5 कुल रकबा 08 बीघा वाके ग्राम रा तहसील सपोटरा जो कि वादीगण की खातेदारी की है एवं खाता सं0 180 की आराजी नं0 113 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा भूमि वाके ग्राम तुरसंगपुरा तहसील सपोटरा वादीगण एवं दीगण की संयुक्त की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है। उपर्युक्त भूमि पर वाहमी ा अनुसार हमारा कब्जा काश्त है व उसी अनुसार फसल काश्त का लाभ लेते चले आ रहे है। 16.9.09 को पटवारी हल्का हरिया का मंदिर से खाता संख्या 22 की जमाबंदी प्राप्त करने पर हुआ कि रामसहाय पुत्र जगन ने हमारी शामलाती आराजीयात का बेचान कर दिया है। दी सं0 1 व 2 वादीगण की कब्जे काश्त की आराजी जोतने बोने से दखलंदाज करने लगे कहने लगे कि यह जमीन हमारी है , हमने यह क्रय करली है। प्रतिवादी सं0 5 करीबन 30 वर्ष रया पुत्र हरबक्स मीना निवासी रतनापुरा के गोद जा चुका है इसकलिए खाता संख्या 180 की खसरा नं0 113 के राजस्व रिकार्ड मे रत्तीराम पुत्र जगन का नाम वादीगण हजफ कराने के री है। प्रतिवादी सं0 5 चालाक किस्म का व्यक्ति है। वादीगण ने प्रतिवादी सं0 5 से दिनांक 09 को भू राजस्व रिकार्ड सही कराने की कहा तो प्रति0 सं0 5 ने इंकार कर दिया और कहा कोई रिकार्ड सही नही कराउंगा। इसलिए वादीगण ने वाद पत्र पेश कर खाता सं0 22 का बंटवारा अनुसार बंटवारा किये जाने, खाता सं0 180 की आराजी मे रत्तीराम पुत्र जगन का

Scanned by CamScanner

नाम हजफ कर वादीगण व प्रतिवादी सं0 3 व 4 को हिस्से 1/2 की खातेदारी की घोषणा किये जाने एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है।

दावा वादीगण दर्ज कर तलबी प्रतिवादीगण जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादी सं0 1 ता 4 व 7 बावजूद सम्मन तामील उपस्थित न्यायालय नही आया इसलिए इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रतिवादी सं0 5 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आये किन्तु प्रतिवादी सं0 5 की ओर से कोई जवाबदावा पेश नही किया गया। प्रवितादी सं0 6 ने प्रकरण मे राज्यहित निहित नही होने के कारण कोई जवाब दावा पेश नही किया । इसलिए कोई तनकीयात कायम नही की गई।

वकील वादीगण ने साक्ष्य मे वादीया हंसाबाई एवं वादी जगमोहन के शपथ पत्र पेश किये जिनसे प्रतिवादी वकील ने जिरह नही की तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे वकील वादीगण द्वारा नकल जमाबंदी ग्रम रतनापुरा सम्बत् 2062–65, नकल जमाबदी ग्राम तुरसंगपुरा सम्बत् 2062–65, नामान्तरकरण सं0 55 ग्राम रतनापुरा की प्रति, जमाबंदी नकल ग्राम रतनापुरा संबत 2046–49, नामा0 सं0 113 रजिस्टर ग्राम रतनापुरा, जमाबंदी नकल ग्राम रतनापुरा सम्बत् 2050–53 पेश किये है। प्रतिवादीगण ने बावजूद अंतिम अवसर ना तो कोई जवादावा पेश किये है, ना ही कोई मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये है।

विद्वान अभिभाषक वादीगण की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित खाता सं0 22 की पत्रावली मे संलग्न जमाबंदी नकल सम्बत् 2062–65 मौजा रतनापुरा मे हल्का पटवारी का पेन्सिली नोट अंकित है जिसके अनुसार उक्त भूमि के 1/2 हिस्से के खातेदार रामसहाय पुत्र जगन द्वारा अपनी भूमि का बेचान उगन्ती पत्नि रामकिशन, कमला पत्नि बत्तीलाल मीना निवासी तुरसंगपुरा को करने के कारण नामान्तरकरण सं0 230 मुताबिक विक्रय पत्र दर्ज किया हुआ है अर्थात नामा0 दर्ज तो हो रहा है लेकिन तस्दीक नही हुआ है इसलिए जब तक उक्त नामा0 पर निर्णय नही हो जाता तब तक विवादित आराजीयात का बंटवारा किया जाना संभव नही हैं।

पुनश्च वादीगण ने रत्तीराम पुत्र जगन के रतनापुरा निवासी भोरया पुत्र हरबक्श मीा के गोद चले जाने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य अर्थात कोई रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड गोदनामा पेश नही किया है। खाता संख्या 180 मे दर्ज विवादित आराजी मे रत्तीराम का हिस्सा किस प्रकार दर्ज हुआ है अर्थात यह विरासत से दर्ज हुआ है या स्वअर्जित है इसका भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया गया है। इसलिए वादीगण का खाता सं0 180 की आराजी मे रत्तीराम का नाम हजफ कर घोषणा खातेदारी किये जाने का अनुतोष भी खारिज किये जाने योग्य है। इस प्रकार वादीगण को उपरोक्त विवेचन के अनुसार ना तो बंटवारा का अनुतोष दिया जा सकता है, ना ही घोषणा खातेदारी का अनुतोष दिया जा सकता है, अतः वादीगण का दावा खारिज होने योग्य है।

अतः दावा वादीगण खारिज किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(राजपाल यादव आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली

Scanned by CamScanner